



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-19112022-240420
CG-DL-W-19112022-240420

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 19—नवम्बर 25, 2022 (कार्तिक 28, 1944)
No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 19—NOVEMBER 25, 2022 (KARTIKA 28, 1944)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	965	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	991	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	3429	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	10873
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	461
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	3023
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्क.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	965	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	991	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	3429	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	10873
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	461
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	3023
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 नवंबर 2022

सं.10-4/2019-यू3(ए)—जबकि, केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, किसी उच्च शिक्षण संस्थान को यूजीसी की सलाह पर समवत विश्वविद्यालय घोषित करने का अधिकार है।

2. और जबकि, केंद्र सरकार ने, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर, दिनांक 26 अप्रैल, 2001 की अधिसूचना संख्या 9-7/98-यू.3 के तहत शनमुगा आर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी (एसएएसटीआरए), तंजावुर, तमिलनाडु को समवत विश्वविद्यालय घोषित किया था।

3. और इसके बाद जबकि, डॉ. वैद्यसुब्रमण्यम, कुलपति, एसएएसटीआरए (समवत विश्वविद्यालय), तंजावुर, तमिलनाडु से चेन्नई में एक ऑफ-कैंपस केंद्र की स्थापना हेतु आशय पत्र (एलओआई) जारी करने के लिए एक आवेदन दिनांक 22.05.2019 को प्राप्त हुआ था। इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समवत विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 के अनुसार जांच और सलाह के लिए 04.06.2019 को यूजीसी को भेजा गया था।

4. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 18.06.2019 के अपने पत्र संख्या 1-5/2018 (सीपीपी- I/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि यूजीसी के अध्यक्ष ने आवेदन की जांच करने और अपनी संस्तुतियां देने के लिए प्रोफेसर वी एस चौहान, प्रोफेसर सुषमा यादव, प्रोफेसर आर सी कुहाड़ और प्रोफेसर इंद्र मोहन कापति को शामिल करते हुए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति ने आवेदन की जांच की और सिफारिश की कि कतिपय शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन चेन्नई में एक ऑफ-कैंपस केंद्र स्थापित करने के लिए एसएएसटीआरए (समवत विश्वविद्यालय), तंजावुर, तमिलनाडु को आशय पत्र जारी किया जा सकता है।

5. और जबकि, यूजीसी की सलाह को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के लिए एसएएसटीआरए को दिनांक 04.10.2019 को आशय पत्र जारी किया:

- i. संस्थान यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 के अनुसार अपने संगम ज्ञापन/नियमों में संशोधन और पंजीकरण करेगा।
- ii. संस्थान जहां भी लागू हो, संबंधित सांविधिक परिषदों का अनुमोदन प्राप्त करेगी।
- iii. प्रस्तावित ऑफ कैंपस में शिक्षक-छात्र अनुपात 1:20 से कम नहीं होगा और संबंधित वैधानिक परिषदों के मानदंडों के अनुसार होगा।
- iv. संबंधित सांविधिक परिषदों के मानदंडों के अनुसार संकाय की संख्या 25 से कम नहीं होनी चाहिए।
- v. नियमित क्लास रूम मोड के तहत न्यूनतम 500 छात्रों को रोल पर होना चाहिए जिनमें से कम से कम 1/3 पीजी/शोध छात्र हों।
- vi. प्रस्तावित ऑफ-कैंपस केंद्र में कम से कम 3 पीजी विभाग होने चाहिए।
- vii. निर्मित क्षेत्र प्रति छात्र 30 वर्गमीटर से कम नहीं होना चाहिए जिसमें शैक्षणिक भवन, पुस्तकालय, व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालाएं, छात्रावास, संकाय निवास, स्वास्थ्य देखभाल, सामान्य सुविधाएं और मनोरंजन सुविधाएं शामिल हैं।

6. और इसके बाद जबकि, समवत विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 03.10.2022 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तुत आशय पत्र की शर्तों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट, सत्यापन हेतु और इस मंत्रालय को अपनी विशिष्ट सलाह देने के लिए यूजीसी को अग्रेषित की गई थी कि क्या शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 से चेन्नई में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने के लिए समवत विश्वविद्यालय को अनुमोदन दिया जा सकता है।

7. और इसके बाद जबकि, यूजीसी ने दिनांक 1 नवंबर, 2022 के अपने पत्र संख्या 40-10/2019 (सीपीपी-1/डीयू) के माध्यम से यह सूचित किया था कि समवत विश्वविद्यालय ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि चेन्नई में प्रस्तावित ऑफ-कैंपस में शिक्षक-छात्र अनुपात, संकाय संख्या, छात्रों की संख्या, पीजी/अनुसंधान कार्यक्रमों की संख्या, प्रति छात्र निर्मित क्षेत्र, अकादमिक भवन, पुस्तकालय, व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालाएं, छात्रावास, संकाय निवास, स्वास्थ्य सेवा, खेल के लिए स्थान, सामान्य और मनोरंजक सुविधाएं यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध की जाएंगी। समवत विश्वविद्यालय ने यह शपथ पत्र भी दिया है कि प्रदान किए जाने वाले कार्यक्रमों को संगत सांविधिक निकाय (ओं) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और ऐसे निकायों के मानदंडों का पालन किया जाएगा।

8. अब, इसलिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीय शनमुगा आर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी (एसएचएएसटीआरए) (समवत विश्वविद्यालय), तंजावुर, तमिलनाडु को चेन्नई में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने की अनुमति प्रदान करता है:

- i. समवत विश्वविद्यालय यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आशय पत्र की शर्तों की पूर्ति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- ii. विधि विभाग के तहत स्नातकोत्तर कार्यक्रम – अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्यिक कानून/ कॉर्पोरेट और कर कानून में एलएलएम संबंधित वैधानिक परिषद (ओं) के अनुमोदन के बाद ही शुरू किया जाएगा।
- iii. उक्त ऑफ कैंपस में नए पाठ्यक्रम यूजीसी के मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार शुरू किए जाएंगे।

9. सरकार द्वारा अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के बाद आयोग द्वारा उक्त ऑफ-कैंपस की समीक्षा की जाएगी। यह अनुमति यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 और केंद्र सरकार, यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी अन्य प्रासंगिक मानदंडों/नियमों/विनियमों/निर्देशों के अनुपालन के अध्यक्षीय है।

विजयलक्ष्मी महादेवन, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 नवंबर 2022

संकल्प

सं. ई-14011/2/2019-हिंदी—भारत सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिनांक 05.08.2015 के संकल्प संख्या ई-11015/02/2015-हिंदी का अधिक्रमण करते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है:—

1. सूचना और प्रसारण मंत्री अध्यक्ष
2. सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री उपाध्यक्ष

गैर-सरकारी सदस्य

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य

3. श्री अजय निषाद, संसद सदस्य (लोक सभा)
4. श्री रवनीत सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा)
5. श्री कैलाश सोनी, संसद सदस्य (राज्य सभा)
6. डॉ. सोनल मानसिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा)

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित सदस्य

7. प्रो. रीता बहुगुणा जोशी, संसद सदस्य (लोक सभा)
8. श्री मनोज कुमार तिवारी, संसद सदस्य (लोक सभा)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य

9. डॉ. रमेश चंद शर्मा गोपाल नगर, दड़ही, जिला, हमीरपुर-177001, मोबाइल: 9418025065, ई-मेल : romeshjaleria@gmail.com
10. डॉ. योगेन्द्र प्रताप सिंह हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर, लखनऊ -226007, मोबाइल नं. 9415914942, ई-मेल : yp.hindi.indology@gmail.com
11. डॉ. पी. प्रिया पुथुकुडी हाऊस, वेल्लुर पोस्ट ऑफिस, अथोली, वाया कोझीकोड, 673315, मोबाइल: 9447279181, ई-मेल : priyaradhan@gmail.com
12. डॉ. रीता मोनी वैश्य हिंदी विभाग, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गोपीनाथ बोरदोलोई नगर, जालुकबाड़ी, गुवाहाटी, असम-781014, मोबाइल: 9435116133, ई-मेल : rita1@gauhati.ac.in

केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के प्रतिनिधि

13. श्री भोज प्रकाश 398, सेक्टर-21-बी, फरीदाबाद-121001 (हरियाणा), मोबाइल: 9868527462

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के प्रतिनिधि

14. डॉ. हेमचन्द्र वैद्य 'चित्रकूट', राधानगर, साबले प्लॉट बैचलर रोड, वर्धा, पिन-442001, मोबाइल: 9405903278, ई-मेल : drhemchandravaidya@gmail.com

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य

15. डॉ. ओ.एस.आर. मूर्ति डी.नं. : 70-4ए-25/9सी, पदमानगर, आर.टी.ओ. ऑफिस रोड, काकीनाडा, ईस्ट गोदावरी, आंध्रप्रदेश, मोबाइल : 9490962403, 7396053232, ई-मेल : osrmurtyvbm@gmail.com
16. श्री प्रमोद स्वामी वैष्णव भवन, जैन गली, केदार रोड, गुवाहाटी, असम-781001, मोबाइल: 8638503737, 9864138827, ई-मेल : pramodsworld1@gmail.com
17. डॉ. रवीन्द्र कुमार 'शाहाबादी' क्लब ब्लॉक रोड, भोजपुर, आरा, बिहार-802301, मोबाइल : 9430273407, ई-मेल : rshahabadee@gmail.com

पदेन सदस्य

18. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
19. सचिव, राजभाषा विभाग और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार, नई दिल्ली।
20. अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
21. अपर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
22. वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली। (सदस्य सचिव)
23. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली।

24. संयुक्त सचिव (नी. एवं प्र.), सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
25. संयुक्त सचिव (फिल्म), सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
26. संयुक्त सचिव (प्रसारण-I), सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
27. संयुक्त सचिव (प्रसारण-II), सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
28. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती, पीटीआई बिल्डिंग, नई दिल्ली।
29. मुख्य लेखा नियंत्रक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
30. प्रधान महानिदेशक, पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली।
31. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई।
32. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बाल चित्र समिति, भारत, मुंबई।
33. प्रेस पंजीयक, भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय, नई दिल्ली।
34. महानिदेशक (आकाशवाणी), आकाशवाणी महानिदेशालय, प्रसार भारती, नई दिल्ली।
35. महानिदेशक (दूरदर्शन), दूरदर्शन महानिदेशालय, प्रसार भारती, नई दिल्ली।
36. प्रधान महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो (पूर्ववर्ती लोक संपर्क एवं संचार ब्यूरो), नई दिल्ली।
37. महानिदेशक, भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली।
38. महानिदेशक, फिल्म प्रभाग, मुंबई, महाराष्ट्र।
39. महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
40. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, मुंबई।
41. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स इंडिया लि., नई दिल्ली।
42. अपर महानिदेशक, न्यू मीडिया विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
43. सचिव, भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली।
44. निदेशक, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र।
45. निदेशक, सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, ई.एम.बाईपास रोड, पोस्ट पंचशायर, कोलकाता-700094.
46. निदेशक, फिल्म समारोह निदेशालय, नई दिल्ली।
47. निदेशक, राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, पुणे, महाराष्ट्र।

समिति के कार्य

इस समिति का कार्य संविधान के राजभाषा संबंधी प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम/नियमों के उपबंधों, केंद्रीय हिंदी समिति के नीतिगत निर्णयों तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा हिंदी के संबंध में जारी निदेशों के कार्यान्वयन तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सलाह देना है।

कार्यकाल

समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः इसकी अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष होगा, बशर्ते कि:—

1. जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर, इस समिति के सदस्य नहीं रह सकेंगे।
2. समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक समिति के सदस्य होंगे, और
3. यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण अथवा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र देने के कारण स्थान रिक्त होता है तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।

सामान्य

1. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।
2. गैर-सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए, यात्रा तथा दैनिक भत्ता भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. II/20034/4/86-रा.भा. (क-2) दिनांक 22 जनवरी, 1987 में निहित निर्देशों के अनुसार दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

रविन्द्र कुमार जेता, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 9th November 2022

No. 10-4/2019-U3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No. 9-7/98-U.3 dated 26th April, 2001, on the advice of UGC, had declared Shanmugha Arts, Science, Technology & Research Academy (SHASTRA), Thanjavur, Tamil Nadu as an Institution deemed to be University.

3. And further whereas, an application dated 22.05.2019 was received from Dr. Vaidhyasubramaniam, Vice Chancellor, SASTRA (Deemed to be University), Thanjavur, Tamil Nadu for issuance of Letter of Intent (LoI) for establishment of an off-campus centre at Chennai. The same was forwarded to UGC on 04.06.2019 for examination and advice as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.

4. And whereas, UGC vide its letter No.1-5/2018 (CPP-I/DU) dated 18.06.2019 informed that the Chairman, UGC constituted an Expert Committee consisting of Prof. V. S. Chauhan, Prof. Sushma Yadav, Prof. R. C. Kuhad & Prof. Inder Mohan Kapathy to examine the application and give its recommendations. The Committee examined the application and recommended that LoI may be issued to SASTRA (Deemed to be University), Thanjavur, Tamil Nadu for setting up an Off-Campus Centre at Chennai subject to the fulfillment of the certain conditions.

5. And whereas, taking into consideration the advice of UGC, the Ministry issued Letter of Intent on 04.10.2019 to SASTRA for fulfillment of the following conditions:

- i. Institution will amend and register its MoA / Rules in accordance with the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.
- ii. Institution will obtain approval of the concerned Statutory Council(s), wherever applicable.
- iii. Teacher-student ratio at the proposed off campus will not be less than 1:20 and as per the norms of the concerned Statutory Councils.
- iv. The faculty strength should not be less than 25 and as per the norms of the concerned Statutory Councils.
- v. Minimum 500 students should be on roll under regular class room mode of which not less than 1/3 being PG/Research students.
- vi. There shall be at least 3 PG Departments at the proposed off-campus centre.
- vii. The built up area should not be less than 30 sqm per student which includes Academic Building, Library, Lecture Hall, Labs, Hostels, Faculty residence, Health Care, Common Facilities and recreational facilities.

6. And further whereas, the compliance report in respect of conditions of LoI, as submitted by the deemed to be University vide its letter dated 03.10.2022, was forwarded to UGC for verification and furnishing its specific advice to this Ministry whether approval may be given to the Deemed to be University to start an Off-Campus Centre at Chennai from the academic year 2022-2023.

7. And further whereas, UGC, vide its letter No.40-10/2019 (CPP-I/DU) dated 1st November, 2022, has conveyed that it has observed that the Deemed to be University has submitted undertakings that teacher-student ratio, faculty strength, number of students, no. of PG/research programmes, built up area per student, academic building, library, lecture halls, labs, hostels, faculty residence, healthcare, area for play, common and recreational facilities at the proposed off-campus at Chennai shall be available as per the provisions stipulated in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019. The Deemed to be University has also submitted undertaking that the programmes to be offered shall be approved by the relevant statutory body(ies) and shall follow the norms of such bodies.

8. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby permits Shanmugha Arts, Science, Technology & Research Academy (SHASTRA) (Deemed to be University), Thanjavur, Tamil Nadu to start an off-campus centre at Chennai subject to the following conditions:

- i. The Deemed to be University shall submit fulfilment report of the conditions of LoI as per the provisions stipulated in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.
- ii. Post Graduate Programme under Law Department – LLM in International Trade & Commercial Law / Corporate & Tax Law shall be started only after the approval of the concerned Statutory council(s).
- iii. The new Courses at the said off Campus shall be started in accordance with the provisions of the extant Regulations of UGC.

9. The said off-campus shall be reviewed by the Commission after a period of five years from the date of Notification by the Government. This permission is subject to the compliance of the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019 and other relevant Norms/Rules/Regulations/Directions issued by the Central Government, UGC and other Statutory Councils, from time to time.

VIJAYALAKSHMI MAHADEVAN, Under Secretary

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 3rd November 2022

RESOLUTION

No. E-14011/02/2019-Hindi:—In supersession of Ministry of Information and Broadcasting's Resolution No. E-11015/02/2015-Hindi, dated 05.08.2015, the Government of India have decided to reconstitute the Hindi Advisory Committee of the Ministry of Information and Broadcasting as under:—

1. Minister for Information and Broadcasting CHAIRPERSON
2. Minister of State for Information and Broadcasting VICE CHAIRPERSON

Non-Official Members

Members nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs

3. Shri Ajay Nishad, Member of Parliament (Lok Sabha)
4. Shri Ravneet Singh, Member of Parliament (Lok Sabha)
5. Shri Kailash Soni, Member of Parliament (Rajya Sabha)
6. Dr. Sonal Mansingh, Member of Parliament (Rajya Sabha)

Members nominated by the Committee of Parliament on Official Language

7. Prof. Rita Bahuguna Joshi, Member of Parliament (Lok Sabha)
8. Shri Manoj Kumar Tiwari, Member of Parliament (Lok Sabha)

Members nominated by the Ministry of Information and Broadcasting

9. Dr. Ramesh Chand Sharma Gopal Nagar, Daduhi, Distt. Hamirpur-177001, Mob. 9418025065,
Email: romeshjaleria@gmail.com
10. Dr. Yogendra Pratap Singh Hindi and Modern Languages Department, Lucknow University, Lucknow University
campus, Lucknow-226007. Mobile No. 9415914942,
Email : yp.hindi.indology@gmail.com
11. Dr. P. Priya Puthukkudi House, Velloor, P.O., Atholi, Via, Kozhikode, 673315, Mob: 9447279181,
E-Mail: priyaradhan@gmail.com
12. Dr. Rita Moni Baishya Department of Hindi, Guwahati University, Gopinath Bordoloi Nagar, Jalukbari, Guwahati,
Assam -781014, Mob: 9435116133,
E-Mail : rita1@gauhati.ac.in

Representative of Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad

13. Shri Bhoj Prakash 398, Sector-21-B, Faridabad-121001 (Haryana), Mob. 9868527462

Representative of Rashtrabhasha Prachar Samiti, Wardha

14. Dr. Hemchandra Vaidya 'Chitrakut', Radhanagar, Sable Plot Bachelor Road, Vardha, Pin-442001, Mob. 9405903278
Email : drhemchandravaidya@gmail.com

Members nominated by the Department of Official Language

15. Dr. O.S.R. Murty D.No. : 70-4A-25/9C, Padmanagar, R.T.O. Office Road, Kakinada, East Godavari, Andhra Pradesh, Mob.: 9490962403, 7396053232,
Email : osrmurtyvbm@gmail.com
16. Shri Pramod Swami Vaishnav Bhawan, Jain Gali, Kedar Road, Guwahati, Assam-781001,
Mob. : 8638503737, 9864138827, Email: pramodsworld1@gmail.com
17. Dr. Ravindra Kumar 'Shahabadi' Club Block Road, Bhojpur, Aara, Bihar-802301, Mob. : 9430273407, Email: rshahabadee@gmail.com

Ex-Officio Members

18. Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi.
19. Secretary, Department of Official Language and Hindi Adviser to the Government of India, New Delhi.
20. Additional Secretary and Financial Advisor, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi.
21. Additional Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi.
22. Sr. Economic Advisor, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi. (Member Secretary)
23. Joint Secretary, Department of Official Language, New Delhi.
24. Joint Secretary (P&A), Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi.
25. Joint Secretary (Films), Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi.
26. Joint Secretary (Broadcasting - I), Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi.
27. Joint Secretary (Broadcasting - II), Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi.
28. Chief Executive Officer, Prasar Bharati, P.T.I. Building, New Delhi.
29. Chief Controller of Accounts, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi.
30. Principal Director General, Press Information Bureau, New Delhi.
31. CEO, Central Board of Film Certification, Mumbai.
32. CEO, Children's Film Society of India, Mumbai (Maharashtra).
33. Press Registrar, Office of the Registrar of Newspapers of India, New Delhi.
34. Director General (All India Radio), DG: AIR, Prasar Bharati, New Delhi.
35. Director General (Doordarshan), DG: DD, Prasar Bharati, New Delhi.
36. Principal Director General, Central Bureau of Communication (Formerly BOC), New Delhi.
37. Director General, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi
38. Director General, Films Division, Mumbai (Maharashtra).
39. Director General, Publication Division, New Delhi
40. Managing Director, National Film Development Corporation Limited, Mumbai.
41. Chairman-cum-Managing Director, Broadcast Engineering Consultants India Ltd., New Delhi.
42. Additional Director General, New Media wing, Shastri Bhawan, New Delhi.

43. Secretary, Press Council of India, New Delhi.
44. Director, Film and Television Institute of India, Pune (Maharashtra).
45. Director, Satyajit Ray Film and Television Institute, E.M. Bypass Road, P.O. Panchshayar, Kolkata-700094.
46. Director, Directorate of Film Festival, New Delhi.
47. Director, National Film Archive of India, Pune, Maharashtra.

FUNCTIONS OF THE COMMITTEE

The functions of the Committee are to render advice regarding implementation of the provisions relating to Official Language contained in the Constitution, Official Languages Act and Rules, Policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti, instructions issued by the Ministry of Home Affairs/Department of Official Language relating to Official Language Hindi and also the progressive use of Hindi in the Ministry of Information and Broadcasting.

TENURE

The tenure of members of the Committee will ordinarily be three years from the date of notification of the Committee provided that:—

1. Members of the Parliament, who are members of the Committee, shall cease to be Members of the Committee as soon as they cease to be Members of the Parliament.
2. The ex-officio members of the Committee shall continue as members so long as they hold office by virtue of which they are members of the Committee and
3. If a vacancy arises in the Committee due to resignation or death of a member, the appointee to that vacancy shall hold office for the residual period of the tenure of three years.

GENERAL

1. The Headquarter of the Committee shall be at New Delhi.
2. Non-Official members of the Committee will be paid travelling allowance and daily allowance for attending the meetings of the Committee at the instructions prescribed as per O.M. No. II/20034/4/86-O.L. (A-2) dated 22.1.1987 of Department of Official Language and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments and Union Territory Administrations, all Ministries/Departments of Government of India, President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RABINDRA KUMAR JENA, Sr. Economic Adviser